

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 10/2023

श्री जीत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री अनुराग पुत्र श्री गोकुलचन्द  
मै० जय बाबोजी ट्रेडिंग कम्पनी, चहल चौक के पास, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर।
2. S.M. Industris, Plot No- G 310 Agso Food Park Ricco Sri Ganganagar.

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) / 51

निर्णय

दिनांक : 10.03.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री जीत सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं संशोधित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.08.2011 को प्रकाशित कर दिया गया। व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्यक्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक निदेशालय के आदेश क्रमांक:-खाद्य सुरक्षा/निदे०/2022/337 दिनांक 20.04.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

श्री जीतसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.12.2022 को 12.10 पी.एम. का मै० जय बाबोजी ट्रेडिंग कम्पनी, चहल चौक के पास, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता अनुराग पुत्र श्री गोकुलचन्द अपना परिचय देकर दुकान पर रखे सरसों का तेल (संजीवनी ब्राण्ड) के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान पर रखे एक कार्टून में पोली पेक सील्ड 500 मिली वजनी करीब 100 बोतलें सरसों का तेल (संजीवनी ब्राण्ड) को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। जिसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते सरसों का तेल (संजीवनी ब्राण्ड) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर देते हुए वरवक्त की मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध सरसों का तेल (संजीवनी ब्राण्ड) में से 500 मिली x 4 (चार मूल सील्ड बोतलें) सरसों का तेल (संजीवनी ब्राण्ड) विक्रेता से खरीद कर एक साफ सूखे बर्तन में खरीद कर लिया तथा चार बराबर भागों में बांटकर चार साफ सूखी खाली प्लास्टिक की सीसी जो मेरे पास उपलब्ध थी में भरकर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्यशुदा सरसों का तेल (संजीवनी ब्राण्ड) का नगद भुगतान 296/- रुपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। कैशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंगन है।

डा. हरीतिमा  
अति. जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री अनुराग एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री अनुराग को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सरसों का तेल (संजीवनी ब्राण्ड) को बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों भरकर लिया। चार बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-1606 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा के कोड व क्रमांक के-1606 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री अनुराग एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/1089/एक्ट/2022/1089 दिनांक 22.12.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1606 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री अनुराग पुत्र श्री गोकुलचन्द मै0 जय बाबोजी ट्रेडिंग कम्पनी, चहल चौक के पास, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर सरसों का तेल (संजीवनी ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 30.01.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

डी.ओ. श्रीगंगानगर



अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:- प्रार्थी मकान नम्बर 100 राणा प्रताप कॉलोनी, श्रीगंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स जय बाबोजी ट्रेडिंग कम्पनी, चहल चौक के पास, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/230 दिनांक 06.02.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में सरसों का तेल (संजीवनी ब्राण्ड) की जांच की गई तो सरसों का तेल (संजीवनी ब्राण्ड) **Misbranded Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त सरसों का तेल (संजीवनी ब्राण्ड) में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपना हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Mustard Oil (Sanjivani Brand)** का सैम्पल **K-1606** जांच रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/1089/एक्ट/2022/1089 दिनांक 22.12.2022 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी मकान नम्बर 100 राणा प्रताप कॉलोनी, श्रीगंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स जय बाबोजी ट्रेडिंग कम्पनी, चहल चौक के पास, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/230 दिनांक 06.02.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में सरसों का तेल (संजीवनी ब्राण्ड) की जांच की गई तो सरसों का तेल (संजीवनी ब्राण्ड) **Misbranded Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त सरसों का तेल (संजीवनी ब्राण्ड) में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपना हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "**Mustard Oil (Sanjivani Brand)**" bearing Code No and Sr. No. **K-1606** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar **Misbranded Food Under section 3(1)(zf)(c) (i) of Food Safety and Standard Act-2006**. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त अनुराग पुत्र श्री गोकुलचन्द को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त अनुराग पुत्र श्री गोकुलचन्द को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम

अति. जिला कार्यालय (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर



2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 7,000-00 (अखरे रूपये सात हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में अनुराग पुत्र श्री गोकुलचन्द खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Handwritten Signature)*  
(डा. हरीशम) प्रशासन  
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक)  
श्रीगंगानगर